रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 254] नई दिल्ली, शनिवार, मई 20, 1972/वैशाख 30, 1894
No. 254] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20, 1972/VAISAKHA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 20th May 1972

S.O. 366(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 493, dated the 11th February, 1966 (hereinafter referred to as the said Order), read with the Order of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 685, dated the 9th February, 1971, the management of the whole of the industrial undertaking known as the New Bhopal Textile Mills Limited, Bhopal, had been taken over by the Authorised Controller referred to therein for a period upto and inclusive of the 10th February, 1972;

And Whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferrd by th proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 10th February, 1974.

[No. F. 11021/5/71-TEX(G).]

K. KISHORE, Jt. Secy

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 मई, 1972

का० आ० 366(अ).—यतः भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 685, दिनांक 9 फरवरी, 1971 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 493, दिनांक 11 फरवरी, 1966 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भोपाल नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उसमें निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 10 फरवरी, 1972 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था ।

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रभावी बना रहे;

अतः अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त आदेश का प्रभाव 10 फरवरी, 1974 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, और बना रहेगा ।

[सं० फा० 11021/5/71—टैक्स (जी)]

के० किशोर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972